राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2014/2025

साधना मचेरिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला परिषद, भरतपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.02.2025

आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पंचायत समिति, बयाना में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.05.2008 को पंचायत रोजगार सहायक के पद पर हुई थी। कुछ कारणों के चलते अपीलार्थी को दिनांक 31.05.2010 के बाद कार्य करने की अनुमति दी गई, जिसके चलते माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8598/2013 प्रस्तुत की गई

और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा उसका निस्तारण किये जाने का आदेश दिनांक 24.05.2013 पारित किया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन को दिनांक 30.06.2015 को निस्तारण करते हुये अपीलार्थी को सेवायें निरंतर जारी रखने की अनुमति दी गई। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मानदेय नहीं दिया जायेगा, परंतु सेवायें निरंतर जारी रखने के लिये इनकार नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जो कार्मिक राजस्थान कांट्रेक्टच्युअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल, 2022 के अंतर्गत इनकी मानदेय वृद्धि का लाभ पूर्व की सेवाओं के अनुभव के आधार पर बढाया जाता है और अपीलार्थी ने निरंतर दिनांक 13.05.2008 से 30.05.2010 तक सेवायें दी हैं। परंतु अपीलार्थी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भरतपुर द्वारा दिनांक 26.06.2024 को उसके बीच की अवधि का कार्यानुभव नहीं जोडा गया, जो नियम विरूद्ध है और इस प्रकार दिनांक 31.05.2010 से 31.07.2015 तक की सेवा अवधि की गणना नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 13.05.2008 से 09.04.2021 तक का कार्यानुभव प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पंचायत समिति, बयाना में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)